फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

रामकरण बनाम सरकार

मुकदमा नं.– 78 /2017

प्रकरण : राजस्व वाद

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
28-02-2017	यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणो के विरूद्ध अधीन धारा 53,88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया ज़ाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 7.4.2017 को पेश हो।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
7-4-17	पीठासीन अधिकारी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष 5-6-17 को प्रस्तुत करें।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
2/8/17	पीठासीन अधिकारी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 3-11-17 को प्रस्तुत करें।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
3.11.17	पीठासीन अधिकारी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6-12-17 को प्रस्तुत करें।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
6.12.17	पीठासीन अधिकारी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 30.3.18 को प्रस्तुत करें।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
30.3.18	[illegible]	
	पीठासीन अधिकारी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 12.4.18 को प्रस्तुत करें।	

Scanned by CamScanner

पक्षकार/अधिवक्ता के अधिवक्ता

13.5.18

9.5.18

14.5.18 पत्रावली न्याय आज के सार सिविल कोर्ट आदेश सेवा केन्द्र कठौती में पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी के मौजा कठौती के खसरा नम्बर 1917/1952 रकबा 30 बीघा भूमि की खातेदारी अधिकार चाहे हैं। इस वाद के संबंध में राजपैरोकार ने जवाब लिया गया। राजपैरोकार ने जवाब पेश कर अवगत कराया कि ग्राम कठौती के ख. नं: 1917/1952 रकबा 30 बीघा सरकारी किस्म पड़त भूमि है वाद ग्रस्त भूमि का वर्षा काल में वर्षा का पानी नजदीकी तालाब में आता है इस तालाब का ख. नं: 1500 किस्म डो. गु. तालाब में आता है वाद ग्रस्त भूमि केचमेन्ट क्षेत्र की भूमि है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित भूमि है जिस के खातेदारी अधिकार ~~अ~~ उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिये वादी का वाद खारीज किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन व राजपैरोकार के जवाब से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा खातेदारी चाही गयी भूमि सरकारी भूमि है तथा केचमेंट एरिया की भूमि है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय से प्रभावित भूमि है इस लिये इस के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं।

अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली कोसल अदालत होकर दफ्तर दाखिल हो।